बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–6 / निदे0 (थरूहट विकास)–50–01 / 2025–88

प्रेषक,

संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी,
सरकार के सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक–30/07/2026

विषयः–पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के माध्यम से चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2030–31 तक योजना का अवधि विस्तार एवं बजट में उपबंधित राशि में से ₹2988.45 लाख (उनतीस करोड़ अठासी लाख पैंतालीस हजार रू0) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत

पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के माध्यम से चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2030–31 तक योजना का अवधि विस्तार एवं बजट में उपबंधित राशि में से ₹2988.45 लाख (उनतीस करोड़ अठासी लाख पैंतालीस हजार रू0) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2–उक्त राशि मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उप शीर्ष–0125–थरूहट क्षेत्र विकास–विषय शीर्ष–3104–सहायक अनुदान वेतन–3105–सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण–3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन–विपत्र कोड–44–2225027960125–के अंतर्गत विकलनीय है।

3–इस स्वीकृत राशि के लिए निकासी पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया राशि की निकासी आवश्यकतानुसार समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के PL खाता संख्या–WCHPLA009 में उपलब्ध करायेंगे। योजना का व्ययन पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी, समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। तथा इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, अभिकरण का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभिकरण से प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार तथा विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6–निकासी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जाएगा।

7–स्वीकृत योजना पर राशि व्यय की जायेगी। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं एवं लाभान्वितों का डुप्लीकेशन न हो।

8–महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

9–इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–6 / निदे0 (थरूहट विकास)–50–01 / 2025– के पृ0– /टि0 पर प्राप्त है।

10–प्रस्ताव पर दिनांक–15.07.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–02 के रूप स्वीकृति प्राप्त है।

11–सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

12–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु0–यथो0।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6 / निदे0 (थरूहट विकास)–50–01 / 2025– 88 **पटना, दिनांक**– 30/07/2026

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन / विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6 / निदे0 (थरूहट विकास)–50–01 / 2025– 88 **पटना, दिनांक**– 30/07/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना एवं विकास विभाग / अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रभारी पदा0, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रभारी पदाधिकारी, लेखा शाखा / प्रशाखा पदा0–8डी0 / आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव